विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0031313

मेसर्स वैष्णव फाईवर लिमिटेड, — आवेदक
9, रॉयल हाउस, जी–1/ए,
प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर,
जोन – I, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
राजगढ़ (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 17.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक C0126713 मेसर्स वैष्णव फाइवर लिमिटेड विरूद्ध महाप्रबंधक, (संचा.संधा) वृत्त, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में पारित आदेश दिनांक 30.03.2013 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ता/आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 09.09.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसने अपनी संविदा मांग 1350 केवीए से घटाकर 1000 किए जाने का निवेदन किया था, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिनांक 01.11.12 से संविदा मांग कम किए जाने की अनुमति प्रदान की थी, जबकि ऐसी अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से ही मान्य की जानी चाहिए थी । अतः उसने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 1350 केवीए संविदा मांग के आधार पर विद्युत ऊर्जा के खपत की जो संगणना की गई है उसे अपास्त किया जाए तथा संविदा मांग 1000 मान्य किया जाकर उक्तानुसार विद्युत ऊर्जा के खपत की मांग का आदेश दिया जाए ।

3. अनावदेक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की उक्त शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया है कि दिनांक 09.09.11 को उपभोक्ता की ओर से जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था वह पूर्ण नहीं था, अतः कमियां दूर करने के लिए उसे पत्र लिखा गया । उपभोक्ता द्वारा कमियां पूर्ण न करने के कारण उसका आवेदन पत्र लंबित रहा और जब उपभोक्ता द्वारा सभी वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई उसके पश्चात् दिनांक 01.11.12 से संविदा मांग कम किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । अतः अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने के दिनांक से ही उपभोक्ता की संविदा मांग कम किया जाना माना जाएगा ।

4. फोरम ने इस आशय का निर्णय दिया है कि अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के अपूर्ण होने के कारण निर्धारित समय सीमा में संविदा मांग में कमी नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता मांगे गए लाभ को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता द्वारा यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि फोरम ने विषय के संबंध में प्रभावशील विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के सुसंगत प्रावधान को ध्यान में दिए बिना प्रश्नगत् आदेश दिया है । उपभोक्ता वांछित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः उसे वांछित सहायता प्रदान की जाए ।

6. उपभोक्ता के उक्त अभ्यावेदन का विरोध अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा इस आधार पर किया गया है कि उपभोक्ता ने संविदा मांग की कमी के लिए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कण्डिका 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.24 का पालन नहीं किया है, उक्त उपबंधों का पालन नहीं किए जाने के कारण उसकी संविदा मांग में निर्धारित कालावधि में कमी नहीं की जा सकती । अतः उपभोक्ता वांछित सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या – आवेदक उपभोक्ता के संविदा मांग की कमी उसके द्वारा प्रदत्त आवेदन पत्र की तिथि से 30 दिवस के अन्दर मान्य किए जाने योग्य है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

7. विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 निर्मित की गई है । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधान उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी पर प्रभावशील हैं । इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण के लिए उत्तरदायी विद्युत लाईसेंसी के अधिकार अधिशासित होती हैं । विषय के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है :–

संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रियां –

[1][7.9 यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध प्रारंभ किये जाने की तिथि से प्रथम छः माह के अन्दर अथवा इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अन्दर, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा । संविदा मांग में कमी, संविदा मांग (जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो) के 50% (पचास प्रतिशत) तक सीमित की जा सकेगी, बशर्तें यह कि कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी । एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटाए नहीं जाएंगे ।

7.10 संविदा मांग कम किये जाने संबंधी आवेदन संविदा मांग में परिवर्तन किये जाने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । जहां स्थापना में फेरबदल निहित है, वहां उपभोक्ता द्वारा एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.11 संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तद्नुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा ।

(ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की संसूचना 15 दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी ।

(स) संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील हो जाएगी जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को संसूचित किया जाता है अथवा उसे मानी गई अनुमति प्रदान की जाती है ।

7.12 प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम किये जाने बाबत् अधिकृत होगा तथा इस प्रकार किया गया अनुरोध समस्त औपचारिकताएं जैसे कि अनुबंध का निष्पादन, आदि पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रभावशील हो जाएगा जिसे कि संविदा मांग किये जाने संबंधी आवेदन की प्राप्ति तिथि से 30 दिवस की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा । संविदा मांग में कमी किये जाने हेतु अनुवर्ती मांग संविदा मांग में की गई कमी की जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकती है । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकती है । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उक्त संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ।]

7.13 इस संहिता के लागू होने से पहले निष्पादित सभी विद्यमान अनुबंधों में यदि संविदा मांग में कमी पर प्रतिबंध के लिये यदि कोई प्रावधान है, तो वह इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार संशोधित माना जावेगा ।

[1][7.14 जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है अथवा मानी गई अनुमति स्वीकार कर ली जाती है तो एक संपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा ।]

8. आवेदक उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी अधीक्षण यंत्री के समक्ष दिनांक 09.09.11 को लिखित आवेदन पत्र दिनांक 12.09.11 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसे संविदा मांग 1350 केवीए की आवश्कयता नहीं है, अतः उसकी संविदा मांग 1350 से घटाकर 1000 केवीए की जाए। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी महाप्रबंधक ने दिनांक 22.09.11 को लिखित पत्र उपभोक्ता को इस आशय का प्रेषित किया था कि उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में निम्नानुसार सहपत्र संलग्न नहीं हैं :–

1) निर्धारित आवेदन पत्र
2) राशि रू. 25/– की रसीद की छायाप्रति ।
3) एनेक्जर ए –I, III एवं IV
4) रिज्यूलेशन लेटर

5) अधिकतम मांग पत्र (पिछले 12 माह)

6) लोड वाईज मशीन रीज की सूची ।

यह पत्र दिनांक 28.9.11 उपभोक्ता को प्राप्त हुआ था । उपभोक्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.10.11 के द्वारा उक्त पत्र द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित की थी जो दिनांक 14.10.11 को अनावेदक को प्राप्त हुई थी । उपभोक्ता द्वारा उक्त जानकारी प्रेषित किए जाने के बाद दिनांक 17.10.11 को पुनः अनावेदक कम्पनी के महाप्रबंधक द्वारा उपभोक्ता को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन में 3 प्रतियां सत्यापित हस्ताक्षर के साथ प्राप्त नहीं हुई है, अतः आवेदन की तीनों सत्यापित प्रतियों के साथ उक्त आवेदन कार्यालय को प्रेषित किया जाए । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त पत्र का उत्तर उपभोक्ता द्वारा 13 सितम्बर, 2012 को प्रस्तुत किया गया था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 03.09.12 को पुनः उपभोक्ता को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग कम करने हेतु उपभोक्ता के आवेदन पत्र के संबंध में दिनांक 22.09.11 को जो पत्र प्रेषित किया गया था उसके संबंध में उपभोक्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री, नरसिंहगढ़ को दिनांक 10.10.11 को जानकारी प्रेषित की गई थी । कार्यपालन यंत्री द्वारा जांच करने पर पुनः 17.10.11 को कमी पूर्ण करने हेतु लिखा गया था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा 17.10.11 को भेजे गये पत्र के पश्चात् भी कोई जानकारी प्रेषित नहीं की गई है । इस कारण से अपूर्ण प्रकरण होने के कारण स्वीकृति हेतु मुख्य प्रबंधक, भोपाल को उपभोक्ता ने आवेदन प्रेषित नहीं किया गया है, अतः उपभोक्ता दिनांक 22.09.11 को प्रेषित पत्र के अनुसार आवेदन एवं सहपत्र पूर्ण कर 3 प्रतियों में पुनः उपभोक्ता को अविंलब प्रेषित करें । दिनांक 07.09.12 को महाप्रबंधक द्वारा पत्र प्रेषित कर उपभोक्ता को इस आशय की जानकारी दी कि वह वांछित जानकारी प्रेषित करें तथा विद्युत देयकों का समय–सीमा में देना सुनिश्चित करें अन्यथा 10.09.12 से उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा । अनावेदक की ओर से महाप्रबंधक ने दिनांक 04.10.12 को पुनः उपभोक्ता को इस आशय का पत्र प्रेषित किया कि वह मांग कम किए जान के लिए नवीन आवेदन प्रस्तुत करें, जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्त न हो ।

9. उपभोक्ता तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आवेदक/उपभोक्ता द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके संबंध में अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई थी । आपत्तियों की पूर्ति उपभोक्ता द्वारा किए जाने पर पुनः नवीन आपत्ति की जाती थी और इन्हीं कारणों से आवेदक/उपभोक्ता के आवेदन पत्र के अनुसार संविदा मांग में कमी में विलंब हुआ था ।

10. प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तत्समय विधि के प्रावधान क्या थे तथा क्या उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई थी ? विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 7.9 लगायत 7.14 जिनका उल्लेख इसके पूर्व किया गया है के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि संविदा मांग में कमी हेतु उपभोक्ता के आवेदन पत्र को धारा 7.9 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त नहीं किया गया था ।

11. संहिता की धारा 7.10 के प्रावधानों के अनुसार संविदा मांग कम किए जाने संबंधी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । उपभोक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.10.11 के द्वारा संविदा मांग कम किए जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रेषित किया गया था । स्थापना में फेरबदल निहित नहीं था, अतः विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था । इस तरह संहिता की धारा 7.10 के अपेक्षाओं की पूर्ति विद्युत उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.10.11 से हो गई थी ।

12. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 22.09.11 को उपभोक्ता को जो पत्र प्रेषित किया गया था उसमें 25/– रू. की रसीद की छायाप्रति तथा अन्य जानकारी प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई थी, जबकि ऐसी अपेक्षा किए जाने का कोई प्रावधान संहिता की धारा 7.9 लगायत 7.14 में नहीं है । अतः उपभोक्ता द्वारा उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाना आवश्यक नहीं था ।

13. संहिता की धारा 7.11 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी संविदा मांग में कमी किए जाने के आवेदन पत्र के संबंध में उसे 15 दिवस में सूचित करेगा । यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो उपभोक्ता लिखित नोटिस देकर 15 दिवस में उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा और यदि 15 दिवस के भीतर उसे निर्णय की सूचना नहीं दी जाती तो संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी अनुमति मान ली जाएगी और यह कमी उक्त माह के उपरान्त अगली माह की प्रथम शुरू माह से प्रभावशील होना माना जावेगा ।

14. इस मामले में उपभोक्ता द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा दिनांक 22.09.11 के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर दिनांक 10.10.11 को प्रेषित पत्र में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी थी, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर उसके आवेदन पत्र पर निर्णय नहीं लिया गया था अपितु पुनः जानकारी मांग ली गई थी । यदि उपभोक्ता द्वारा वांछित जानकारी नही दी जा रही थी अर्थात् संहिता की धारा 7.10 की अपेक्षाओं को उपभोक्ता द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा था तो 15 दिवस के अन्दर उसका आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जाना वांछित था, परन्तु ऐसे आवेदन पत्र पर निर्णय न लेने

तथा यह कहना की मांग में कमी का निर्णय लेने का अधिकार अधीक्षण यंत्री को नहीं है, उचित तथा विधि संगत नहीं माना जा सकता ।

15. इस मामले में उपभोक्ता के प्राथमिक अनुबंध अवधि की समाप्ति नहीं हुई थी, ऐसी आपत्ति भी अनावेदक की ओर से नहीं की गई है, अतः स्पष्ट है कि संहिता की धारा 7.12 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता की ओर से संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन किया गया था तथा ऐसा आवेदन आवेदन की प्राप्त तिथि से 30 दिवस के अन्दर निराकृत किया जाना चाहिए था । उपभोक्ता ने पहली बार दिनांक 09.09.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसका यह आवेदन पत्र पूर्ण नहीं था, परन्तु दिनांक 10.10.11 को उसने जो आवेदन पत्र दिया था उससे संहिता की धारा 7.10 की अपेक्षाओं की पूर्ति होती थी, अतः दिनांक 10.10.11 को प्रस्तुत आवेदन पत्र जो कि दिनांक 14.10.11 को अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त हुआ था के 30 दिवस के अन्दर अर्थात् 13.11.11 तक उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किया जाना था तथा संहिता की धारा 7.14 के प्रावधानों के अनुसार सम्यक् अनुबंध निष्पादित किया जाना था, परन्तु संविदा मांग में कमी उक्तानुसार नहीं की गई थी । अतः यह माना जाएगा कि दिनांक 13.11.11 से उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी ।

16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की ओर से संविदा मांग में कमी हेतु मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जो प्रक्रियां निर्धारित की गई है, उक्त प्रक्रियां का पालन नहीं किया गया था तथा उपभोक्ता के आवेदन पत्र पर निर्धारित कालावधि में निर्णय नहीं लिया गया था । अतः दिनांक 13.11.11 से उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी होना माना जावेगा तथा दिनांक 01.12.11 से यह माना जाएगा कि उपभोक्ता के संविदा मांग में 1350 केवीए के स्थान पर 1000 केवीए की कमी की गई है अर्थात् वितरण लाईसेंसी दिसम्बर 2011 से अनुज्ञप्तिधारी से 1350 केवीए संविदा मांग के आधार पर विद्युत देयक वसूल पाने का अधिकारी नहीं होगा । दिसम्बर 2011 से वह उपभोक्ता से 1000 केवीए भार के आधार पर ही विद्युत देयक की वसूली कर सकेगा ।

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से 1 दिसम्बर 11 से 1000 केवीए संविदा मांग के आधार पर ही विद्युत देयक की वसूली कर सकेगा । उपभोक्ता द्वारा उक्त अवधि के लिए यदि कोई राशि जमा की गई हो तो उपभोक्ता उक्त राशि का समायोजन प्राप्त करने का अधिकारी होगा । यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा 1350 केवीए मांग के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी देयकों की राशि जमा नहीं करने पर उसके

विद्युत का विच्छेदन नहीं किया जावे और यदि ऐसा विच्छेदन किया गया है तो उसे अविंलब पुनः जोड़ा जावे ।

18. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल